

58/2018

19/12/2023

पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा अनुरोधित हैं। शर्मा स्वयं भी अनुरोधित हैं। उनकी सोर से कोई अन्य वकील भी उपस्थित नहीं हैं। वार-वार आवाजे लगवाई गई। परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी उपस्थित नहीं हैं। अतः राजस्व प्राप्ति पर अदम धजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल हफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)